ऑन लाईन नं. GCMS 2025/92

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 27 / 2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री भीमसैन पुत्र श्री निवास गुप्ता(विक्रेता), मै. गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, कमलेश बंसल, एफ–2, ओलखनगर, श्रीगंगानगर, जगदीश जांदू चौक, श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती कोमल गर्ग पत्नी श्री मनीष गर्ग(मालिक), सी 17 साउथ सीटी, 04 ई छोटी, श्रीगंगानगर, मै. गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, कमलेश बंसल एफ–2 ओलखनगर, श्रीगंगानगर

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांकः 20.06.2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन नमूना संग्रहण के दिवस क्रमांक संख्या एफ 5(1) चिस्वा. / ग्रुप–3 / 2024 / 10018 दिनांक 15.12. 2023 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान में क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा / ग्रुप 3 / ई–5095 / 2024 / दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुकत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता० / खासुऔनि / संस्था / 2023 / 10077 दिनांक 26. 12.2023 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता / संस्था. / 2024 / 1211 दिनांक 08.07.2024 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रंमाक आयुक्ता० / खासुऔनि / संस्था / 2024 / 1225 दिनांक 09.07.2024 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.10.2024 को समय 11:00 ए.एम बजे **मैसर्स – गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, कमलेश बंसल एफ–2, ओलखनगर, श्रीगंगानगर, जगदीश जांदू चौक, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे। मौके पर **श्री भीमसेन पुत्र श्री निवास गुप्ता (विक्रेता)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे **पेड़ा मिठाई(प्रोपराईटारी फूड)** के बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को विकेता बताया व संस्थान में रखे खाद्य पदार्थ **पेड़ा मिठाई(प्रोपराईटारी फूड)** को आमजन मे बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विकेता से **पेड़ा मिठाई(प्रोपराईटारी फूड)** नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **पेड़ा मिठाई(प्रोपराईटारी फूड)** में से 02 किलोग्राम विकेता से खरीद कर लिया गया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **पेड़ा मिठाई(प्रोपराईटारी फूड)** का नगद

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

भुगतान 300 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री भीमसैन पुत्र श्री निवास गुप्ता (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री भीमसैन पुत्र श्री निवास गुप्ता (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पेड़ा मिठाई(प्रोपराईटारी फूड)** 02 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर कसकर ढक्कन बंद किए और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2566** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2566** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री भीमसैन पुत्र श्री निवास गुप्ता (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S.-/1433/Act/2024/1433 Dated 06.11.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2566 Unsafe Food** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

नमूना खाद्यकारोबारकर्ता द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर नमूना जांच हेतु रेफरल लैब पुणे भेजा गया। रेफरल फूड लैबोरेट्री, पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक RFL/P/DO-18/25/73/2025 दिनांक 21.01.2025 के अनुसार खाद्य नमूना के-2566 Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री भीमसैन पुत्र श्री निवास गुप्ता(विक्रेता) और श्रीमती कोमल गर्ग पत्नी श्री मनीष गर्ग(मालिक), मै. गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, कमलेश बंसल, एफ-2, ओलखनगर, श्रीगंगानगर, जगदीश जांदू चौक, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **पेड़ा मिठाई(प्रोपराईटारी फूड)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 28.04.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी मकान नं. सी 17 साउथ सिटी, श्रीगंगानगर, का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मै. गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी दुकान नं. एफ 2 ओलख नगर, श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 570/2025 दिनांक 28.04.2025 का दिया है कि आपकी दुकान में पेड़ा मिठाई की जांच की गई तो पेठा मिठाई सबस्टेंडर्ड फूड पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त पेडा मिठाई में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निरस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण सं. 27/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निरस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पेड़ा मिठाई(प्रोपराईटारी फूड)** का सैम्पल **K-2566** रैफरल फूड लैबोरेट्री, पुणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट कमांक RFL/P/DO-18/25/73/2025 दिनांक 21.01.2025 अनुसार **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निरस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Peda Mithai"** bearing Code No and Sr. No. K-2566, does not conforms to the standards of Proprietary Food, as per Regulation

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

क)

No. 2.12.1 & Food Category System No.1.7 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. **Hence found to be Sub- standard as per section 3 (1) (zx) of Food Safety & Standards Act 2006** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री भीमसैन पुत्र श्री निवास गुप्ता(विक्रेता)** और **श्रीमती कोमल गर्ग पत्नी श्री मनीष गर्ग(मालिक), मै. गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, कमलेश बंसल, एफ–2, ओलखनगर,** श्रीगंगानगर, जगदीश जांदू चौक, श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री भीमसैन पुत्र श्री निवास गुप्ता(विक्रेता) और श्रीमती कोमल गर्ग पत्नी श्री मनीष गर्ग(मालिक), मै. गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, कमलेश बंसल, एफ–2, ओलखनगर, श्रीगंगानगर, जगदीश जांदू चौक, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 30,000–00 (अखरे रूपये तीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर